AMAR UJALA, Delhi, 6.9.2018
Page No. 1, Size:(19.68)cms X (12.94)cms.

बगैर आधार बच्चों का दाखिला नहीं रोकें स्कूल

यूआईडीएआई ने स्कूलों से साफ तौर पर कहा, ऐसा करना माना जाएगा अवैध

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बुधवार को स्कूलों से कहा कि वे आधार कार्ड के बिना बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया जाना अवैध है और इसकी इजाजत भी नहीं है।

प्राधिकरण ने राज्यों के सचिवों को सर्कुलर जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा, आधार के अभाव से कोई बच्चा लाभ और उसके अधिकार से वंचित न हो। यूआईडीएआई ने कहा कि स्कूल स्थानीय बैंकों, डाकघरों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर परिसर में विद्यार्थियों का आधार बनवाने के लिए कैंप लगवाएं। यह आदेश उनके लिए बड़ी राहत है, जिनके पास आधार नहीं है। यूआईडीएआई ने स्कूलों से कहा कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जब तक आधार नंबर जारी नहीं हो जाता या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों से मुहैया कराई जाएं। ब्यूरो

पंजीकरण की जिम्मेदारी स्कूलों की

यूआईडीएआई ने कहा कि जिन बच्चों के पास आधार नंबर नहीं है या जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, आधार नियमों के तहत यह स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वे उनके लिए आधार पंजीकरण एवं बायोमेट्रिक अपडेशन की सुविधा का बंदोबस्त करें।

राशन नहीं देने के मामले में भी जारी किए थे निर्देश

इससे पहले यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के अभाव में राशन नहीं दिए जाने के मामले में निर्देश जारी किए थे। तब भी प्राधिकरण ने बिना आधार के राशन मुहैया कराने को कहा था।